भारत सरकार/Government of India
परमाणु ऊर्जा विभाग/Department of Atomic Energy
राजा रामन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी केंद्र
Raja Ramanna Centre for Advanced Technology

डाकघर/PO: केट/CAT
इंदौर/Indore – 452 013

संदर्भ सं. 14/06/2020-साप्रप्र/
Ref. No. 14/06/2020-GAC/997 -1002

जुलाई, 2020
July 17, 2020

परिपत्र/CIRCULAR

यह देखा गया है कि COVID-19 अनलॉक दिशा-निर्देशों की घोषणा के बाद, इंदौर में COVID-19 मामलों में सामान्य रूप से वृद्धि हुई है।

It is observed that after announcement of COVID-19 unlock guidelines, there has been increase in number of COVID-19 cases in general in Indore.

यह भी देखा गया है कि कॉलोनी के रह वासियों के साथ-साथ कॉलोनी के बाहर के लोगों का भी कॉलोनी के विभिन्न स्थानों पर अवांछित रूप से आवागमन हो रहा है, जो वर्तमान COVID-19 परिदृश्य को देखते हुए चिंता का विषय है ।

It is noticed that there is a lot of undesirable movement of colony residents as well as people from outside the colony around the various places in the colony which is a matter of concern in the present COVID-19 scenario.

अतः, आरआरकेट कॉलोनी के सभी रहवासियों, कर्मचारियों को निदेश दिया जाता है कि वे रहवासियों के उत्तम स्वास्थ्य तथा COVID-19 के प्रसार को रोकने हेतु निम्नलिखित अनुदेशों का सख्ती से पालन करें : -

All residents, employees in RRCAT colony are therefore directed to strictly comply with the following instructions in the best interest of health of residents and to prevent spread of COVID-19:-

1. जिला कलेक्टर, इंदौर द्वारा जारी आदेश दिनांक 13.07.2020 के अनुसार मास्क पहनने, सेनिटाइज़र का उपयोग करने तथा सामाजिक दूरी बनाए रखने संबंधी सभी दिशा-निर्देशों का पालन करें । ऐसा नहीं किये जाने पर संबंधित प्राधिकारियों द्वारा आदेश में इंगित किए गए अनुसार तत्काल जुर्माना वसूल किया जाएगा ।

   Follow all guidelines regarding wearing of mask, use of sanitizer and maintaining social distance as mentioned in the order dated 13.07.2020 issued by District Collector, Indore, failing which spot fines indicated in the order will be levied by the authorities concerned.

2. कॉलोनी क्षेत्र के अंदर दुकानदारों को भी सभी दिशानिर्देशों का पालन करना चाहिए । अपनी दुकानों के सामने ग्राहकों की भीड़ ना होने दें तथा रात 8 बजे तक दुकानों को बंद करने के अनुदेश का सख्ती से पालन करें ।

   Shopkeepers inside colony area should also follow all guidelines, avoid crowding of customers in front of their shops and are instructed to strictly adhere to time of closing of shops by 8.00 pm.

3. सभी कॉलोनी रहवासियों को सख्त अनुदेश दिया जाता है कि वे बिना किसी उचित कारण के अपने मित्रों या रिश्तेदारों को कॉलोनी के अंदर बुलाने से बचें ।

All residents are strictly instructed to desist from allowing their friends or relatives inside the colony without any genuine reason.

4. आरआरकेट कॉलोनी में तथा उसके आस-पास रहने वाले पूर्व कर्मचारी एवं अन्य लोग पहले से अनुमति लेकर आरएमसी अथवा आवश्यक कारण से या पूर्वानुमति से ही बैंक/ डाकघर /एचपी गैस वितरण की दुकान पर जाएं ।

   Ex-employees and people staying in and around RRCAT colony should avoid visiting colony except at RMC with appointment or Bank / Post Office / HP Gas Distribution Shop with proper permission or for any genuine reason.

5. सभी रहवासियों को कॉलोनी के अंदर सार्वजनिक स्थानों पर एकत्रित ना होने का निदेश दिया जाता है ।

   All residents are directed to avoid gathering at public places inside colony.

6. सभी रहवासी ध्यान दें कि रात्रि 09.00 बजे से प्रातः 05.00 बजे तक कर्फ्यू होने के के कारण, तदनुसार, कॉलोनी में प्रवेश/ निकास/ आवागमन प्रतिबंधित होगा ।

   All residents may note that due to curfew from 09.00 pm to 05.00 am, entry/exit/ movement in the colony will be restricted accordingly.

सभी से अनुरोध है कि COVID-19 के प्रसार को रोकने के लिए तत्परता से उपरोक्त अनुदेशों का पालन करें।

All are requested to follow the above instruction in the right spirit to contain spread of COVID-19.

पऊवि/ जिला प्राधिकारियों से अगले अनुदेश/ दिशानिर्देश प्राप्त होने तक, ये अनुदेश प्रभावी होंगे ।
These instructions will remain in force till further instructions/guidelines from DAE/District authorities.

यह निदेशक, आरआरकेट के अनुमोदन से जारी किया जाता है।
This issues with the approval of Director, RRCAT.

शैलजा प्रकासम
17/7/2020
(शैलजा प्रकासम/Shailaja Prakasam)
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी
Chief Administrative Officer

सभी पदाधिकारी - मेल ऑल द्वारा
All officials through Mail all

सूचनार्थ प्रति/Copy for information to:

1. संयुक्त सचिव (ए एंड ए), पऊवि एवं संयुक्त सचिव (आर एंड डी), पऊवि, मुंबई
   Joint Secretary (A&A), DAE & JS (R&D), DAE, Mumbai
2. उप मुख्य सुरक्षा अधिकारी, आरआरकेट / DCSO, RRCAT
3. उप कमांडेंट, सीआईएसएफ इकाई, आरआरकेट
   Dy. Commandant, CISF Unit, RRCAT
4. प्रभारी, आरआरकेट चिकित्सा केंद्र, आरआरकेट
   In-charge, RMC, RRCAT
5. सचिव, आरआरकेट स्टाफ क्लब - स्टाफ क्लब वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु
   Secretary, RRCAT Staff Club - for display on staff club website